उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

मुख्यालय: राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007, दूरभाष: +91 9151602229, +91 9151642229	**क्षेत्रीय कार्यालय**: एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201308, दूरभाष: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111

Website: www.up-rera.in, **E-mail**: contactuprera@up-rera.in, **Twitter**: https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBDlV3UWtl-tGBhPVA&s=08
Facebook: https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL, **Youtube**: https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao

प्रेस नोट - मई 20, 2024

उ.प्र. रेरा ने 28 शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई में प्रोमोटर्स को उपस्थित होने के लिए सार्वजनिक सुचना जारी की

लखनऊ/ गौतम बुद्ध नगर: उ.प्र. रेरा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित प्रोमोटर्स को उनसे जुड़ी 28 शिकायतों में आने वाले माह की विभिन्न तिथियों पर निर्धारित पीठों (बेंच) की ऑनलाइन सुनवाई में उपस्थित होने एवं अपना पक्ष रखने के लिए समाचार पत्रों में सार्वजनिक सुचना जारी की है। उ.प्र. रेरा की विभिन्न पीठों की सुनवाई में कई तिथियों पर उपस्थित न होने वाले पक्षकारों को समाचार पत्रों में सार्जनिक सुचना के जरिये उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया जाता है। सुनवाई में उपस्थित न होने से शिकायतकर्ता/ पक्षकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तथा उनकी सुनवाई अगली तिथि के लिए निर्धारित करनी पड़ती है जो रेरा अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत एवं आवंटी या अन्य हिस्सेदारों के हितों के प्रतिकूल है।

यह शिकायतें पाम एस्टेट, आई एम सी ओ मल्टी ट्रेड प्रा. लि., शाइन सिटी इंफ्राप्रॉजेक्ट्स प्रा. लि.द्वारिका रेजीडेंसी, गणपति बिल्डर्स, आइकोनिक इंफ्रावेंचर्स लि., अग्रणी होम्स प्रा. लि., मान्य इंफ्रा बिल्डवेल प्रा. लि., जी.आई.डी हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., खालसा रियल एस्टेट प्रा. लि., ओमेगा इंफ्राबिल्ड प्रा. लि. तथा समृद्धि इंफ्रास्टेट प्रा. लि. आदि की है। ई-कोर्ट के माध्यम से सुनवाई में जुडने के लिए पक्षकारों को नियत सुनवाई तिथि से 2 दिन पहले रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर और ई-मेल आईडी पर लिंक भेज दिया जाएगा जिसपर क्लिक करके पक्षकार किसी भी स्थान से सुनवाई में जुड़ सकते है। ज्ञातव्य है कि यू.पी. रेरा ई-कोर्ट मॉडल के अनुरूप घर खरीदारों के शिकायतों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से कर रहा हैं जिसमे किसी भी पक्ष को यू. पी. रेरा के कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

यदि प्रोमोटर इस सार्वजनिक सुचना के बाद भी सुनवाई में उपस्थित नहीं होते है तो रेरा अधिनियम के प्राविधानों के तहत पीठों द्वारा शिकायतकर्ता/ आवंटियों के हितों का ध्यान रखते हुए एकतरफा फैसला दे दिया जाएगा जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रोमोटर होंगे।